

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक :— 12

दिनांक :— 03—10—2023

नीलामी सूचना

आयोग कार्यालय में उपलब्ध विविध अनुपयोगी सामग्री की खुली नीलामी दि 23—10—2023 को अपरान्ह 03.00 बजे से की जानी है। सामग्री का पुस्तक मूल्य लगभग रु. 38,34,794/- लाख एवं न्यूनतम बिक्री मूल्य (आरंभिक बोली मूल्य) 01,50,000/- निर्धारित किया गया है। बोली लगाने से पूर्व रु. 50,000/- की राशि नकद/ड्राफ्ट आयोग कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। सामग्री का अवलोकन आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर नीलामी के समय किया जा सकता है। सामग्री की बिक्री एकमुश्त की जाएगी। अधिकतम बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का होगा। नीलामी की शर्तें आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

उपसचिव

jktLFku ykd I ok vk; ks] vtej vuj ; kxh I kexh ds uhykeh dh 'kr{

- 1 बोली लगाने से पूर्व बयाना (अर्नेस्ट मनी) रु. 50,000/- नगद/डी.डी. द्वारा जमा कराना आवश्यक है जिसके अभाव में बोली नहीं लगा सकेंगे।
- 2 नीलामी न्यूनतम बिक्री मूल्य रु. 01,50,000/- से शुरू की जायेगी।
- 3 बोली 500/- रु. के गुणांक में लगानी अनिवार्य है।
- 4 सामान जैसा है, वैसी स्थिति में बोली समाप्त होने के 24 घंटों के भीतर उठाना होगा।
- 5 सामान उठाने से पूर्व बोली की राशि नगद/डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी।
- 6 नियमानुसार सफल बोलीदाता को जी.एस.टी. की राशि स्वयं द्वारा भुगतान करना होगा तथा जमा राशि के चालान की प्रति आयोग कार्यालय में संपूर्ण सामग्री उठाने से पूर्व जमा करानी होगी।
- 7 नीलामी की अधिकतम बोली राशि का 01 प्रतिशत आयकर टी.डी.एस. आयोग कार्यालय द्वारा काटा जाएगा जिसे बोलीदाता वहन करेगा। इसके लिए सफल बोलीदाता को पेन नंबर आयोग कार्यालय को उपलब्ध करवाने होंगे।
- 8 सफल बोलीदाता द्वारा अनुपयोगी सामग्री की लगाई गई बोली जमा नहीं कराने की स्थिति में पूर्व में जमा करवाई गई बयाना (अर्नेस्ट मनी) राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 9 समस्त सामग्री 02 दिवस में नहीं उठाने पर सामग्री के सम्बन्ध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 10 नीलामी समाप्ति पर अधिकतम 2 बोलीदाताओं की जमा राशि रोककर शेष की राशि/डी.डी. तुरन्त लौटा दी जाएगी।
- 11 अधिकतम बोलीदाता की जमा बयाना (अर्नेस्ट मनी) राशि बिक्री मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी एवं द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की राशि जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार 02 दिवस बाद बिक्री मूल्य में समायोजित/लौटा दी जावेगी।
- 12 नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का निर्णय अन्तिम होगा।

मैंने नीलामी की उक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। एवं मैं नीलामी की उक्त शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक —

हस्ताक्षर बोलीदाता
(मोहर सहित)

हस्ताक्षर
उप सचिव (स्टोर)